घरेलू बिजली के वाणिज्यिक इस्तेमाल पर नहीं होगा केस

मध्यांचल निगम ने एक से पांच किलोवाट के उपभोक्ताओं को दी राहत

संवाद न्यूज एजेंसी

लखनऊ। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के यहां जांच के दौरान अगर बिजली का कॉमर्शियल (वाणिज्यिक) उपयोग मिलता है तो अब एफआईआर नहीं दर्ज होगी। उनसे जुर्माना वसूला जाएगा।

ये नियम एक से पांच किलोवाट वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगा। मध्यांचल निगम के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारौत ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। निगम के दायरे में आने वाले सभी 19 जिलों में व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

प्रबंध निदेशक ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी विद्युत (कठिनाई का निवारण) प्रथम आदेश 2009 के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को ये राहत दी गई है। यदि जांच के दौरान पांच किलोवाट अथवा उससे कम स्वीकृत भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के परिसर का आंशिक उपयोग वाणिज्यिक गतिविधियों में पाया जाता है तो जुर्माने के साथ नोटिस जारी होगी। सीधे एफआईआर दर्ज नहीं होगी।

अब तक ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कराई जाती थी। नई व्यवस्था से राजधानी के 13 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

इस तरह लगेगा जुर्माना : एक किलोवाट के घरेलू कनेक्शन पर वाणिज्यिक इस्तेमाल पर 5000 रुपये जुर्माना लगेगा। एक किलोवाट के कॉर्मिशयल कनेक्शन पर लोड ज्यादा मिला तो 10 हजार जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, पांच किलोवाट पर लोड से ज्यादा इस्तेमाल पर 50 हजार का जुर्माना लगेगा।